

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2012-13/196

दिनांक :- 6-11-12

समस्त उप आवासन आयुक्त,

राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त I/II/III जयपुर / I/II जोधपुर / कोटा / उदयपुर / अलवर / बीकानेर

विषय :- आवासन मण्डल की नवीन प्रस्तावित योजनाओं में आवेदकों को अविलम्ब जमा राशि लौटाने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय आवासन आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाता कि मण्डल द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली नवीन योजनाओं में आवेदकों से बैंक सम्बन्धी जानकारी का आवेदन पत्र में निम्न प्रावधान किया जाना आवश्यक है :-

IFSC Code (Complete)
Complete A/c No.
Type of A/c (Saving/Current/ NRI)
Bank Name
Bank Branch Address
Mobile No.

अतः निर्देशित किया जाता है नवीन पंजीकरण योजना के आवेदन पत्र में उक्त प्रावधान आवश्यक रूप से किया जावे, ताकि असफल आवेदकों को बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा संभव हो सके।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. श्री ए. के. रावत, उप आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जयपुर/श्री ओ. पी. ओझा, उप आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल, जोधपुर।
5. मास्टर फाईल।

वित्तीय सलाहकार